

प्रेषक,

आशीष तिवारी  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 05 फरवरी जनवरी, 2021

**विषय-** जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत मै० रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिपोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षों की लीज (दिनांक 21.06.2019 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गयी 61.2348 हे० वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-1265/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/आई०एन०डी०/39403/2019 दिनांक 27.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि "किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की अदायगी उ०प्र० ई-स्टाम्प नियमावली 2013 के प्रावधानों के अधीन ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र खरीद कर की जा सकती है। इसके लिए ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु वर्तमान में अधिकृत संस्था स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को चेक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस०/नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त विधियों के माध्यम से विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि अदा की जाय। तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक ०5 फरवरी, 2021


विषय- जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत मै० रेणुसागर पावर कम्पनी को  
ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षों की लीज (दिनांक 21.06.2019 से  
20.06.2029 तक) के लिए दी गयी 61.2348 हे० वनभूमि के लीज नवीनीकरण  
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने  
पत्रांक-1792/11-सी-एफपी/यूपी/IND/39403/2019, दिनांक 22.01.2021 का  
कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में  
लीज अवधि 2009 से 2019 तक की अवधि से सम्बन्धित वित्तीय हानि के सम्बन्ध में  
अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने  
का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।